सेवा में सं. डब्ल्यू-11042/13/2013-जल-II

प्रधान सचिव/सचिव-प्रभारी-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता;
आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजना में भू-जल प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण

संदर्भ: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के पत्र सं. डब्ल्यू-11042/13/2013-जल दिनांक 17.3.2015

प्रिय महोदय,

यह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजना के बारे में पत्र दिनांक 17.03.2015 के अनुपालन में है जिसे एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 10 राज्यों के 15 ब्लाकों में लागू किया जा रहा है।
जैसा कि आपको विदित है मेटा-मेटा 30.05.2015 से पहले तिथि और स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए पायलट ब्लाकों में एक 5 दिवसीय भू-जल प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन करेगा। सभी भाग लेने वाले पायलट ब्लाकों से अनुरोध है कि वह भागीदारों के संघटन के संबंध में नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें:-

1. भागीदारों की कुल संख्या= 40

2. भागीदारों के 50% में सक्रिय जीपी/वीडब्ल्यूएससी सदस्य और जीपी सचिव/पंचायत विकास अधिकारी होने चाहिए। शेष में स्थानीय प्रेरक/चैम्पियन, एसओ प्रतिनिधि, ब्लाक स्तर के अभियंता, राज्य के भू वैज्ञानिक/हाइड्रोलॉजिस्ट/हाइड्रोज्योलॉजिस्ट और जिला नोडल अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में होंगे। आमंत्रित शेष अधिकारी भू-जल और सतह (सवायल) संबंधी वार्तालाप से संबंधित होने चाहिए (कृपया निम्नलिखित उदाहरण देखें)

सक्रिय वीडब्ल्यूएससी/जीपी सदस्य	13
जीपी सचिव/पंचायत विकास अधिकारी	10
जाने पहचाने स्वाभाविक लीडर/चैम्पियन	5
एसओ प्रतिनिधि	5
ब्लाक स्तर के अभियंता	3
भूवैज्ञानिक/हाइड्रोलॉजिस्ट	1
जिला नोडल अधिकारी	1
अन्य अधिकारी**	2

***सक्रिय** महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए
****राज्य** भू-जल एवं सतह संरक्षण से संबंधित जिला पदाधिकारियों का चयन करें।

अधिक जानकारी के लिए राज्यों से अनुरोध हे कि वे **saumya.srivastava@nic.in और linha@worldbank.org को ई-मेल करें।**

भवदीया,

(संध्या सिंह)
संयुक्त निदेशक (स्टैट)

तकनीकी निदेशक, एनआईसी को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।